भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3418
दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले

3418. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के प्रयासों के बावजूद महाराष्ट्र राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में कमी नहीं आ रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या फलों एवं सब्जियों को रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर कृत्रिम रूप से पकाने की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, जिससे जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस अवैध एवं खतरनाक गतिविधि पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-प्रणाली, तंत्र तथा पहचान की विधियां अपनाई जा रही हैं; और

(घ) गत पाँच वर्षों के दौरान फलों एवं सब्जियों को कृत्रिम रूप से पकाने के ऐसे कितने मामले वर्ष-वार प्रकाश में आए हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने का अधिकार है। खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन और प्रवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अनुरूप नहीं पाए गए सभी खाद्य उत्पादों (मिलावट सहित) के विरुद्ध की गई प्रवर्तन कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है –

क्र.सं.	वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या	दीवानी मामले	आपराधिक मामले
				जुर्माना लगाया गया	दोषसिद्धि की संख्या
1	2025-26*	7694	1335	2445	8
2	2024-25	5403	1250	1147	0
3	2023-24	5087	1174	154	0

*डेटा अनंतिम है।

खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और रोक) विनियम, 2011यह अधिदेशित करते हुए फलों के पकाने में कार्बाइड गैस के उपयोग पर रोग लगाता है, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विवरण के तहत, ऐसे फलों को न तो बेचेगा या बेचने के लिए पेश या प्रदर्शित करेगा या अपने परिसर में बिक्री के उद्देश्य से रखेगा जिन्हें एसीटिलीन गैस, जिसे आमतौर पर कार्बाइड गैस के रूप में जाना जाता है, के उपयोग के कृत्रिम रूप से पकाया गया हो; बशर्ते कि फलों को फसल, किस्म और परिपक्वता के आधार पर 100 पीपीएम (100ul/L) तक की सांद्रता पर इथिलीन गैस के उपयोग से कृत्रिम रूप से पकाया जा सकता है।
इसी विनियम का उप-विनियम 2.3.6 ताजे फलों और सब्जियों की बिक्री का प्रावधान करता है, जिसमें कहा गया है कि "ताजे फल और सब्जियां सड़न और मोम, खनिज तेल और रंगों की परत से मुक्त होंगी। तथापि ताजे फलों पर मधुमक्खी का मोम (सफेद और पीला) या कार्नौबा मोम या शेलैक मोम की परत चढ़ाई जा सकती है, जो खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (44) में प्रदान किए गए अनुसार उचित लेबल घोषणा के तहत अच्छे विनिर्माण प्रथाओं के स्तर से अधिक न हो।

इसके अलावा, एफएसएसएआई ने फलों और सब्जी उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य वस्तुओं के विश्लेषण के तरीकों पर मैनुअल प्रकाशित किया है, जो फलों और सब्जियों के उत्पादों के परीक्षण और विश्लेषण के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।

चूंकि, 03 अप्रैल 2023, 21 नवंबर 2023, 16 मई 2025 और 16 अप्रैल 2026 की एडवाइजरी के माध्यम से 98 प्रतिशत खाद्य व्यवसाय राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के नियामक नियंत्रण में हैं, इसलिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को निरीक्षण बढ़ाने और अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर फल बाजारों/मंडियों पर कड़ी निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनधिकृत या निषिद्ध कृत्रिम पकाने वाले एजेंटों, सिंथेटिक रंगों और गैर-अनुमत मोम कोटिंग्स के उपयोग को रोकने के लिए ताजे फलों की बिक्री की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रवर्तन अभियान चलाते हैं।

वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान महाराष्ट्र सहित देश भर में कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों के विरूद्ध किए गए निरीक्षण, जब्ती/नष्ट करने का विवरण इस प्रकार है: -

वर्ष	**फलों में कृत्रिम पकाने वाले एजेंटों के उपयोग का पता लगाने के लिए पिछले पांच वर्षों में किए गए निरीक्षण**	विश्लेषित नमूने	**अनुरूप** नहीं पाए गए **नमूने (गैर-अनुमत एजेंटों के साथ कृत्रिम रूप से पके हुए पाए गए)**	जब्त/नष्ट किए गए **(किलोग्राम में)**
2020-21	10032	479	10	5037.6
2021-22	11217	352	31	8428.6
2022-23	14185	704	9	10182
2023-24	17180	1450	45	19582.2
2024-25	20365	1953	54	42395.46
